

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर०  
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जाच की गई। जिसके अनुसार

गदलान्कों

महीदयानी

गार्थी का नाम जमाबंदी  
माश्राधार काडि, पटवान

संवत् 2075-78 में संवदन में मीहनलाल पुत्र झुंवाराम दर्ज हो गया जबकि  
पत्र में प्रतीति नाम मीहनलाल पुत्र झावर राम है जो निरुद्ध करना उचित है

29/10/21

41288

29-10-21

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

10/11/21

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक  
का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम गुरुरस किने जाने की अभिरांपा की जाती है / नहीं  
की जाती है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

767  
21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

:- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०)  
उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में  
निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व  
रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
	गदलान्कों	2075-78	214	मीहनलाल पु. झुंवाराम जाति धार	मीहनलाल पु. झावर राम जाति धार

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की  
पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :-

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 513-514

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया को सूचनार्थ।



उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी